राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः एफ.2( ) बजट/बीएफसी–II/आईसीडीएस/2022/ 175418 जयपुर, दिनांकः 20/9/2022

परिपत्र

विषयः– आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए संशोधित अनुमान बाबत।

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों एवं नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतिवर्ष की भांति वित्त (आय व्ययक अनुभाग) विभाग के **बजट प्रकिया, प्रबंधन एवं उपयोग संबंधी परिपत्र कमांक प.4(57)वित्त–1(1)आ.व्य/2022 दिनांक 30.8.22 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करते हुए,** आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय व्ययक अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमान तैयार किए जावे एवं जिला कार्यालय स्तर पर संकलित कर विद्यमान पद, कार्यरत कार्मिक, दूरभाष सुविधा, कम्प्यूटर्स संबंधी उपकरण तथा वाहनों का विवरण प्रपत्र 1 से 11 की सूचना निर्धारित तिथी को निदेशालय में जिला कार्यालय में कार्यरत लेखाकार/संबंधित डीलिंग कर्मी एवं सहयोग हेतु अधीनस्थ परियोजना में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी–II/कनिष्ठ लेखाकार, जो कम्प्यूटर/आईएफएमएस का ज्ञान/जानकारी रखता हो, के साथ व्यक्तिशः प्रस्तुत करने की कार्यवाही करावें।

आय व्ययक नियमावली में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि के लिए विभाग द्वारा विभिन्न उपमदों में आवंटित बजट के अनुसार प्रपत्र–8 से 10 में प्रस्तुत किए जाने है। जिन पर विभाग द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक हैः–

(क) स्वीकृत स्टाफ का उपशीर्षवार विवरण प्रपत्र–1 में भेजा जावे। प्रपत्र–1 (अ) में स्वीकृत स्टाफ के वे पदनाम ही दर्शाये जावे, जो सम्बन्धित सेवा नियमों तथा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम–2017 में अंकित है। विवरण की सत्यता के लिए कार्यालयध्यक्ष इस आशय का प्रमाण–पत्र देवें "प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की स्वीकृतियों के संदर्भ में व्यक्तिगत तौर पर मेरे द्वारा जांच पडताल करली गई है और इसे सही पाया गया है।" विभाग में स्वीकृत रिक्त पदो के विरूद्ध कार्यरत कार्मिकों का विवरण प्रपत्र–1 (ब) में देवें। अन्य कार्मिकों का विवरण प्रपत्र–1 (स) में देवें।

(ख) वर्ष 2019–20 में परिसीमन पश्चात स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्रों की संख्या के आधार पर एवं निम्न मदों/उपमदों का निर्धारित प्रपत्रों में अनुमान तैयार कर प्रेषित करावें।

संवेतन मद के लिए अनुमान, प्रपत्र 8 में, स्वीकृत पद पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के वास्तविक वेतन के आधार पर (नवीन वेतनमान अनुसार) प्रस्तावित किये जाने चाहिए। वर्तमान में रिक्त पदों के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कोई प्रावधान सम्मिलित नही किया जावे।

बजट अनुमान भेजते समय निम्न मदों/उपमदों का निर्धारित प्रपत्रों (प्रपत्र–1 से 11) में अनुमान प्रेषित करेगें।

संवेतन

1. वेतन (मूल वेतन व विशेष वेतन), वेतन एरियर
2. मंहगाई वेतन
3. मंहगाई भत्ता
4. मकान किराया भत्ता
5. अन्य भत्ते (सभी प्रकार के अन्य भत्ते जो बिन्दु संख्या 3 व 4 के अतिरिक्त है)

--------2.

<u>यात्रा भत्ता व्यय</u>

मद अंतर्गत बकाया दायित्वों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ऑनलाईन पे–मैनेजर पर तैयार कर, फारवार्ड बिलो राशि की राशि को सम्मिलित करते हुए संशोधित अनुमानों के प्रस्ताव तैयार किए जावे।

<u>चिकित्सा व्यय</u>

राज्य में आर.जी.एच.एस. योजना लागू किए जाने के कारण चिकित्सा व्यय मद अंतर्गत संशोधित अनुमान एवं बजट अनुमानों में मांग नहीं की जावे।

<u>कार्यालय व्यय</u>

1. दूरभाष व्यय (टेलीफोनों की संख्या प्रपत्र–2 में दी जावे)
2. कम्प्यूटर रखरखाव व्यय (उपलब्ध कम्प्यूटर्स/सर्वर/किराये पर लिये कम्प्यूटर्स की सूचना प्रपत्र–3 में दी जावे)
3. मद अंतर्गत मांग की राशि को आईटम वाईज यथा–डाकतार, दूरभाष व्यय, विद्युत एवं जलप्रभार, अन्य आकस्मिक व्यय (कार्यालय स्टेशनरी आदि) पृथक–पृथक दर्शाया जावे।

<u>वाहनों पर व्यय</u>

4. कार्यकलाप संबंधी वाहनों का संधारण– वाहनों के संधारण का व्यय केवल स्वीकृत विस्तृत मद 20–कार्यकलाप संबंधी वाहनों का संधारण' मद से प्रभार्य किया जायेगा। जिसकी सूचना प्रपत्र 4अ में प्रस्तुत की जावे।
5. वाहन किराया– वाहन किराये का व्यय स्वीकृत विस्तृत मद 36–वाहन किराया' मद से प्रभार्य किया जायेगा। जिसकी सूचना प्रपत्र 4–ब में प्रस्तुत की जावे।

<u>वर्दियां</u>

वर्दियों के लिए सूचना प्रपत्र–11 में दी जावे।

<u>बकाया दायित्व</u>

वित्त विभाग द्वारा गत वर्षो के बकाया रहे दायित्वों की सूचना बीएफसी में पृथक से चाही गई है। अतः पूर्व वर्षो के **बकाया रहे दायित्वों को ऑनलाईन पे–मैनेजर पर अपलोड किए गए बिलों की राशि को ही चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों में सम्मिलित किया जावे।**

आय व्ययक अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों के मध्य समस्त अन्तरों एवं आगामी वर्ष 2023–24 में प्रस्तावित वृद्धियों/कमियों के कारणों की आय व्ययक टिप्पणी में व्याख्या की जानी चाहिए। पूर्ण औचित्य के अभाव में सम्बन्धित कार्यालय द्वारा मांग की गई समस्त वृद्धियों की विभाग द्वारा बिना कोई कारण बताये, उपेक्षा की जा सकेगी। वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमान तैयार करते समय अब तक व्यय, बकाया दायित्व एवं शेष वित्तिय वर्ष के लिए आवश्यक राशि की मांग औचित्य पूर्ण टिप्पणी सहित भिजवायें। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नार्मस के मदों में नार्मस से अधिक राशि की मांग नही की जावें।

सभी आहरण वितरण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मांगों को जहां तक संभव हो, औचित्यपूर्ण रखेगें। कार्यालय में कार्यरत लेखाकर्मी/संबंधित बजट डीलिंग कर्मी आंकडे सही होने के बारे में व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी होगें। **<u>जिन मदों में व्यय न्यूनतम किया गया है, में अतिरिक्त मांग पर विचार नहीं किया जावेगा।</u>** आय व्ययक अनुमान के साथ (प्रपत्र–8 से 10 सहित प्रपत्र–1 से 11 तक मय संकलित प्रपत्र) भी आवश्यक रूप से भिजवावें।

............3.

आय व्ययक अनुमान 2023–24 एवं संशोधित अनुमान 2022–23 निदेशालय में प्रस्तुत करने का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

दिनांकः	कार्यालय उपनिदेशक	दिनांकः	कार्यालय उपनिदेशक
14.10.22	अलवर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर	20.10.22	बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ, उदयपुर
17.10.22	बाडमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ,बूंदी	21.10.22	टोंक, झालावाड, धौलपुर, जैसलमेर
18.10.22	भरतपुर, भीलवाडा, चित्तोडगढ, दौसा	27.10.22	राजसमंद, पाली, सिरोही, कोटा, बांरा
19.10.22	स.माधोपुर, करौली, जालौर, नागौर	28.10.22	जयपुर, सीकर, झुंझुंनू, चुरू, JD-H, HQ

संलग्नः–प्रपत्र 1 से 11 एवं संकलित प्रपत्र

16-9-2022

निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.2( ) बजट / बीएफसी–II / आईसीडीएस / 2022 / 175419-762 जयपुर, दिनांक 20/9/2022
<u>प्रतिलिपि</u> निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उपनिदेशक (प्रशासन) / प्रशिक्षण / भण्डार), मुख्यालय।
2. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (समस्त) को भेजकर लेख है कि अधीनस्थ परियोजना एवं जिला मुख्यालय के आय व्ययक अनुमान 2023–24 एवं संशोधित अनुमान 2022–23 के प्रस्ताव संकलित कर, निर्धारित तिथि को आवश्यक रूप से सहायक लेखाधिकारी–II / लेखा सम्बन्धी कार्य करने वाले किसी भी एक कर्मचारी के साथ भिजवाने की व्यवस्था करावें। समस्त बजट शीर्षो के केन्द्रीय सहायता / राज्य निधि / शत प्रतिशत राज्य निधि से सम्बन्धित आय व्ययक अनुमान तैयार कर प्रस्तुत करावें। जिला कार्यालय का प्रावधान बजट मद 196, ग्रामीण परियोजना कार्यालयों का 197 एवं शहरी परियोजनाओं का 796 / 101 में है। संकलित प्रपत्र निम्न क्रम यथा जिला कार्यालय, इसके पश्चात शहरी परियोजनाऐं एवं इसके पश्चात ग्रामीण परियोजनाऐं का पृथक सैट तैयार कर, बीएफसी के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत करावें।
2. संयुक्त निदेशक (आई.सी.डी.एस.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाऐं (समस्त)
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
5. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

-D:\Budget\SETHI\WORD\ORDER.doc

संशोधित अनुमान वर्ष 2022–23 (संकलित प्रपत्र)

नाम जिला/परियोजना कार्यालय मय आफिस आईडी..............................

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	बजट मद	30.9.22 तक व्यय SNA A/C + POOL	1.10.22 से 31.3.23 तक संभावित व्यय SNA A/C +POOL	वर्ष में कुल संभावित व्यय 3+4	गत वर्षो के बकाया दायित्व, यदि कोई हो	बकाया रहने के औचित्य पूर्ण कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	संवेतन					
	CA (25%)					
	SF (75%)					
	SF (100 %)					
	योगः–					
2	यात्रा व्यय					
	CA (25%)					
	SF (75%)					
	SF (100 %)					
	योग–					
3	कार्यालय व्यय					
	(Office-R) SF (100%)					
	योग–					
4	किराया					
	किराया आंगन. CA (60%)					
	किराया आंगन. SF (40%)					
	किराया कार्यालय SF (100%)					
	योग–					
5	वाहन संधारण					
	CA (60%)					
	SF (40%)					
	योग–					
6	वाहन किराया					
	CA (60%)					
	SF (40%)					2.50 लाख अधिकतम
	योग–					
7	मानदेय					
	CA (60%)					
	SF (40%)					
	SF (100 %)					
	योग–					
8	वर्दी व्यय SF (100 %)					

नोटः– 1. कॉलम 6–7 में केवल मानदेय की राशि को सम्मिलित किया जाना है।
2. गत वर्ष के बकाया मानदेय की राशि, जिसका चालू वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया है, को ही दर्शाया जावें।

कार्यरत मानदेय कर्मियों की संख्या के अनुसार, मानदेय हेतु आवश्यक राशि की गणना का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	मानदेय की दर (प्रतिमाह)	मानदेय हेतु आवश्यक राशि की गणना			
					CA	SF	SF 100%	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंगनबाडी कार्यकर्ता 1.नान मैट्रिक			8391/–				
	2.नान मैट्रिक 5 वर्ष का अनुभव			8425/–				
	3.नान मैट्रिक 10 वर्ष "			8460/–				
	4.मैट्रिक			8460/–				
	5.मैट्रिक 5 वर्ष का अनुभव			8495/–				
	6.मैट्रिक 10 वर्ष का अनुभव			8530/–				
	योग–							
2	मिनी आंगनबाडी कार्यकर्ता			6470/–				
3	सहायिका			4890/–				
	योग–							
4	स–गत वर्ष के बकाया दायित्व, (जिनका चालू में भुगतान किया गया है)							
	महायोग –							

नोटः–1– कार्यालय व्यय मद अंतर्गत मांग की राशि का आईटम वाईज यथा–डाकतार, दूरभाष व्यय, विद्युत एवं जल प्रभार व्यय, कार्यालय स्टेशनरी आदि पृथक से दर्शाया जावे।

2– संकलित प्रपत्र संबंधित कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में तैयार सूचना के आधार पर, प्रत्येक जिला/परियोजना कार्यालय का पृथक–पृथक तैयार किया जावें।

हस्ताक्षर डीडीओ
मय दूरभाष /मोबाइल नंबर